

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1839 /2021.लखनऊ:दि0::नवम्बर, 18 ,2021
--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1754/2021 दिनांक 02.11.2021 द्वारा गोरखपुर में माह-दिसम्बर 2021 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया।

सदस्य पीठ-5 वाराणसी ने अपने पत्र संख्या- 279/21 दिनांक 17.11.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि वह दिनांक 04.12.2021 तथा दिनांक 06.12.2021 से दिनांक 10.12.2021 तक आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। इसलिए उन्हें गठित उक्त युगल पीठ से मुक्त रखते हुए किसी अन्य विभागीय सदस्य को नामित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सदस्य पीठ-5 वाराणसी द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.11.2021 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व गठित गोरखपुर में युगल पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य पीठ-फैजाबाद को नामित किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/18.11.2021

(विनय सिंह)

एच0जे0एस0

प्र0अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ दो-1(32)/ युगल पीठ/ 1839 /2021.तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ- गोरखपुर/फैजाबाद/पीठ-5 वाराणसी।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।